Application for Loan by the Subscribers of E.P.F. Scheme

2892. SHRI D. S. A. SIVAPRAKASHAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that applications for loans from subscribers to the Employees P.F. Scheme under Para 68(B) for construction, repairs, etc. of houses are sent to the Provident Fund Commissioners;

(b) whether Government have taken any steps to ensure that houses are actually purchased/repaired against the loans and to recover the amounts in case houses are not purchased/repaired; and

(c) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. VENKATA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Employees Provident Fund Scheme provides safeguards against misuse of advances taken for the purpose of housing. As per the Scheme, if an advance granted under Paragraph 68-B thereof has been utilised for a purpose other than that for which it was granted, steps will be taken to recover the amount due with penal interest at the rate of 2 per cent per annum. Moreover, no further advance shall be granted to the subscriber under this paragraph within a period of 3 years from the date of grant of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance with penal interest thereon whichever is later.

औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करना

2893. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों तथा अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक पिछड़ेपन को अभी तक दूर नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कार्य को गति प्रदान करने तथा पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नये प्रोत्साहन और रियायतें देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हां। सरकार छठी योजना में क्षेत्रीय विकास की असमानताएं कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) और (ग) यद्यपि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक आयोजना प्रारम्भिक दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है फिर भी, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन, राजसहायता, रियायती वित्त आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन पहले से ही प्रदान करती है। इसके अलावा, उन्होंने केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 21 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने कार्यक्रम चालू करने के लिए 60 जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने का सम्बन्ध है, सरकार पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा इस बारे में की गई सिफारिशों की राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना आयोग में जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

2894. **श्री उमा कान्त मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की दृष्टि से

छठी पंचवर्षीय योजना में किन्हीं विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के प्रत्येक खण्ड में बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य की छठी योजना में बड़ और मझौले उद्योगों के लिए 180.02 करोड़ रु० और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 125.23 करोड़ रु0 का परिव्यय किए जाने के प्रावधान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं अर्थात् भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लि० नैनी तथा आई० टी० आई० एकक, नैनी को भी छठी योजनावधि में विस्तार किया जाना है । कालागढ़ में एक फालतू पुर्जों के एकक, जगदीशपुर में इन्सुलेटेड एकक, झांसी में एक डीज़ल एकक तथा घोराबल में घड़ियों के पुर्जे बनाने के एकक की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने छठी योजनावधि में निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने/उनका विस्तार करने की भी योजना बनाई है :--

1. यू० पी० आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ ।
2. चीनी मिल, बाराबंकी ।
3. चीनी मिल, पिपराइच ।
4. काजरहाट सीमेंट योजना, मिर्जापुर ।

(ग) जी, नहीं मूल प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश हेतु स्थान के बारे में निर्णय करते समय तकनीकी--आर्थिक बातों के अधीन अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान दिया जाता है ।

Reopeninig of K.E.W.

2895. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a report of investigation by the high power committee of experts has been submitted with regard to reopening of M/s. Kumardhubi Engineering Works Ltd., Dhanbad; and

(b) if so, the findings of the Committee?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) Yes, Sir.

(b) Since the matter is still under consideration of the Government of India and the Government of Bihar, it would be premature to pronounce the findings of the committee at this stage.

Manufacture of Glass Shells

2896. SHRI K. LAKKAPPA: Will the PRIME MINITER be pleased to state:

(a) whether his department have decided to opt for manufacture of glass shells for black and whits sets;

(b) if so, whether after manufacture of glass shells, all black and white sets can be converted into colour one;

(c) if so, full details thereof and how much expenditure Government would have to bear;

(d) whether it would be ready before the Asian Games 1982; and

(e) if not, the reasons therefor?